निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 भाद्र 1946 (श0)

(सं0 पटना 867) पटना, शुक्रवार, 30 अगस्त 2024

सं० 2/आरोप–01–15/2023/सा0प्र0—6702
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
29 अप्रील 2024

श्री अंजय कुमार राय (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 243/19 (947/11), तत्कालीन अंचलाधिकारी, हाजीपुर, वैशाली के विरूद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1397(15)/रा0 दिनांक 14.07.2023 द्वारा गठित आरोप–पत्र (साक्ष्य सहित) उपलब्ध कराया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त आरोप–पत्र एवं संचिका में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर श्री राय के विरूद्ध विभागीय स्तर पर आरोप–पत्र पुनर्गठित किया गया।

श्री राय के विरूद्ध आरोप है कि :–

''दाखिल खारिज वाद सं0 1721/2009–10 में दिनांक 30.03.2010 को दाखिल खारिज की स्वीकृति एक ही दिन में पूर्ण किया गया है, जो नियमानुकूल नहीं है।

2. संबंधित मामले में जो भी दाखिल खारिज अंचल अधिकारी कार्यालय द्वारा स्वीकृत किये गये है, उसमें मूल जमाबंदीदार रैयत या उसके वारिसान के नाम से सूचना/नोटिस निर्गत/तामिला होने की सूचना नहीं है। हल्का कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी के स्तर से जो प्रतिवेदन दिये जाते रहे है, वह जमाबंदी सं0–137 से सर्वथा स्पष्ट नहीं है। यह बात उल्लेखनीय है कि दाखिल खारिज वाद सं0–1721 वर्ष 2009–10 में जमाबंदी सं0–136 का भी जिक्र है, जो योगेन्द्र शर्मा, पिता जयनारायण शर्मा वो जवाहर शर्मा वो जगलाल शर्मा वो जय प्रकाश शर्मा, पिता जय किशनु शर्मा एक अंश समान वो जयगोविन्द शर्मा, पिता–जगदेव शर्मा एक अंश, जमीन का विवरण सर्वे वार्ड सं0–16, खाता सं0–136, खेसरा सं0 843, रकवा 0808 दर्ज है, परंतु काबिल लगान के रूप में कोई राशि दर्ज नहीं है।

अभिलेख के सम्पूर्ण अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पक्षकारों को सूचना निर्गत नहीं किया गया है। आवेदन में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के आलोक में दाखिल खारिज की स्वीकृति दे दी गयी है, जो नियमानुकूल नहीं है।

श्री राय का यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1) के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त उल्लेखित मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा Cr.misc no-60683/2022 पूजा कुमारी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 20.04.2023 को पारित आदेश से आच्छादित है।''

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप–पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों पर विभागीय पत्रांक 15894 दिनांक 21.08.2023 द्वारा श्री राय से स्पष्टीकरण किया गया। उक्त के आलोक में श्री राय से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 21354 दिनांक 16.11.2023 द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त विभागीय मंतव्य में प्रतिवेदित किया गया कि श्री राय का कृत्य बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 एवं बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली, 2012 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। इस प्रकार श्री राय से प्राप्त स्पष्टीकरण को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

श्री राय के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त विभागीय मंतव्य की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री राय द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 1721/2009–10 में दिनांक 30.03.2010 को दाखिल खारिज की स्वीकृति एक ही दिन में पूर्ण किया गया है, जो नियमानुकूल नहीं है।

बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 में स्वत्ववाद में उल्लेख किया गया है कि होल्डिग या उसके भाग के दाखिल खारिज के वैसे मामलों में स्वीकृति नहीं दी जाएगी, जिसमें होल्डिग या उसके भाग के संबंध में, सक्षम न्यायालय में स्वत्ववाद लंबित हो। उक्त मामला स्वत्ववाद से आच्छादित रहने के बावजूद मात्र राजस्व में वृद्धि हेतु दाखिल खारिज वाद स्वीकृत किया गया। श्री राय का कृत्य बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 एवं बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली, 2012 के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरान्त श्री राय के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त विभागीय मंतव्य से सहमति व्यक्त की गयी तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत **निन्दन (आरोप वर्ष 2009–10) एवं दो वर्षों से अनधिक अवधि के लिये, संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति** का दंड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अंजय कुमार राय (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 243/19 (947/11), तत्कालीन अंचलाधिकारी, हाजीपुर, वैशाली सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2009–10),

(ii) दो वर्षों से अनधिक अवधि के लिये, संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 867-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in